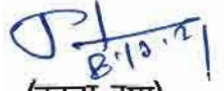


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

शासन के पत्र क्रमांक प.24(34) शिक्षा-6/2017/पार्ट-I दिनांक 10.11.2021 के क्रम में राज्य में संचालित समस्त गैर सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आदेशित किया जाता है कि प्रदेश में विद्यार्थियों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करने तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में शिकायत पेटिका पर "चुप्पी तोड़ो-हम से कहो" पोस्टर संलग्न प्रारूप अनुसार लगाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपर्युक्तानुसार


(काना राम)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/पीएसपी/60573/रा.बा.संरक्षण आयोग/जयपुर/20-21 दिनांक 15/DEC/2024
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 7वीं झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करवाते हुए पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय का अवगत करावे
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु
5. उप निदेशक (आरटीई), प्रा.शि. राजस्थान, बीकानेर को पीएसपी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु
6. समस्त संस्था प्रधान/सचिव, गैर सरकारी विद्यालय को पालनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली

सत्यमेव जयते


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

PS/Mail/1403/21

11.11.2021

DD(sec)/PSP

24
10/11/21

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक:-प.24(34)शिक्षा-6/2017/पार्ट-I

जयपुर, दिनांक : 10/11/2021

निदेशक,
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:-“चुप्पी तोड़ो-हमसे कहो” पोस्टर राजस्थान के समस्त विद्यालयों में लगवाये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर से प्राप्त अद्वितीय पत्र में यह चाहा गया है कि प्रदेश में बच्चों हेतु संपूर्ण वातावरण का निर्माण करने तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु समस्त विद्यालयों में शिकायत पेटिका पर “चुप्पी तोड़ो-हमसे कहो” पोस्टर लगवाने हेतु सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को आदेशित करे।

कृपया उक्त संबंध में विद्यालयों द्वारा की गई पालना की जिलेवार रिपोर्ट से इस विभाग को अवगत कराये जाने की व्यवस्था करावे ताकि अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर को अवगत करवाया जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न - 2

भवदीय,

(मो. सलीम खान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन सहायक सचिव



अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



संगीता बेनीवाल
अध्यक्ष
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

चुप्पी तोड़ी, हम से कहो

चाइल्ड हेल्पलाईन

1098

पुलिस

100

बाल आयोग

rscpcr@rajasthan.gov.in



राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

7B झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इंदोरी, जयपुर-302004

फोन नं.: 0141-2708617